

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

27 JUL 2015

क्रमांक/एफ-10-11/2007/25-2
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक /07/2015

समस्त कलेक्टर
(रायपुर, दुर्ग एवं बेमेतरा को छोड़कर)
छत्तीसगढ़

- विषय :-** अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 का क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से किये जाने कार्य योजना का प्रेषण।
- संदर्भ:-** दिनांक 14.07.2015 को सचिव, भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग में दिये गये निर्देश।

-00-

दिनांक 14.07.2015 को सचिव, भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग कर प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समयबद्ध कार्य योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिये गये हैं। इस हेतु निम्नानुसार कार्ययोजना निर्धारित की जाती है:-

Time bound action plan for FRA Implementation in Chhattishgarh

क.	कार्य	समयसीमा
1.	2.	3.
1.	जिले में निरस्तीकृत वन अधिकार पत्रों का कारणवार वर्गीकृत करना एवं वर्गीकृत सूची से राज्य को अवगत कराना.	10 अगस्त
2.	ग्राम सभा में दावा लंबित नहीं होने संबंधी प्रमाण-पत्र लेना.	15 अगस्त
3.	जिले में वितरित वन अधिकार पत्रों का राजस्व एवं वन विभाग के अभिलेखों में इन्द्राज (ROR) कराना.	31 अगस्त
4.	जिले में सामुदायिक वन अधिकार पत्रों की स्थिति का आंकलन एवं लक्ष्य का निर्धारण.	15 सितम्बर
5.	जिले में शेष व्यक्तिगत/OTFD/सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का परीक्षण एवं उनका वितरण एवं जिलों में नवीन व्यक्तिगत/OTFD/सामुदायिक दावों की पहचान.	30 सितम्बर
6.	CFR कमेटी का गठन Under Sec. 4 (1) e	15 अक्टूबर
7.	यदि जिले में विशेष पिछड़ी जनजातियां निवासरत हैं तो उनके आवेदन प्राप्त कर उनका निराकरण	30 अक्टूबर

कृपया उक्त कार्ययोजना का पालन कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(एन.के.असवाल)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा.तथा अनु.जा.वि.वि.
कमश: // 2 //